<u>न्यायालय—तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैतूल (म०प्र०)</u> (पीठासीन अधिकारी: अमन मलिक)

<u>व्यवहार वाद प्रकरण क0 122 ए / 2017</u> <u>संस्थित दिनांक 15.06.2017</u>

गुलाबराव पिता श्री रामाजी,
 उम्र—61 वर्ष, निवासी—ग्राम एवं पोस्ट खेड़ीसांवलीगढ़,
 तहसील एवं जिला बैतूल (म.प्र.)

.......अावेदक / वादी।

विरुद्ध

- 1. योगेश मदान पिता स्व. श्री सुंदरलाल मदान, उम्र—47 वर्ष, निवासी—शनि मंदिर के पीछे योग इंजीनियर्स (गोठी मार्केट) गंज बैतूल, तहसील एवं जिला बैतूल, (म.प्र.)
- म.प्र. शासन,
 द्वारा–कलेक्टर बैतूल तह.जिला बैतूल(म.प्र.)।

.....अनावेदकगण / प्रतिवादीगण ।

आवेदक / वादी द्वारा श्री मोतीराम वाघमारे अधिवक्ता। अनावेदक / प्रतिवादी कं. 1 द्वारा श्री मदन हीरे अधिवक्ता। अनावेदक / प्रतिवादी क. 2 पूर्व से एकपक्षीय।

<u>आदेश</u> (<u>आज दिनांक–04.10.17 को पारित)</u>

- 1. इस आदेश द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य०प्र०सं० (अस्थाई निषेधाज्ञा) (आई.ए.नं.—1) का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. आवेदक ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है अनावेदक ने अपनी भूमि 42/1—2 एवं 42/1—2 ग्राम खेड़ीसांवलीगढ़ (वादग्रस्त भूमि) का दिनांक 09.05.13 को तहसील कार्यालय के माध्यम से सीमांकन करवाया है जिसमें सीमांकनकर्ता राजस्व निरीक्षक ने 0.165 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर आवेदक का अतिक्रमण होना दर्शाया है। उक्त सीमांकन के आधार पर अनावेदक क. 1 ने धारा 250 म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार बैतूल से दिनांक 07.11.16 को आदेश पारित करवाया है। अनावेदक क. 1 को आवेदक से विवादित भूमि पर कब्जा लेने से रोकना अति आवश्यक है। सीमांकन दिनांक 09.05.13 विधिवत् नहीं है। सीमांकनकर्ता ने मौके पर चांदे की खोज नहीं की है,

आसपास के कृषकों एवं आवेदक को विधिवत् सूचना नहीं दी, सीमांकन के अन्य नियमों का विधिवत् पालन नहीं किया गया है। आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षित वाले बिन्दु है। प्रकरण के निराकरण तक वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य आवेदक के पास ही रहे तो न्यायोचित है अन्यथा दावा पेश करने का औचित्य समाप्त हो जायेगा और आवेदक को अपूर्णीय क्षित होगी। अनावेदक क. 1 की उक्त अवैधानिक कार्यवाही को रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाना आवश्यक हो गया है तािक अनावेदक क. 1 उक्त विवादित भूमि का आधिपत्य प्राप्त ना कर सकें। अतः अनावेदक क. 1 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषधाज्ञा आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया है कि कि अनावेदक विवादित भूमि से कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही इस प्रकरण के निराकरण तक ना करें।

- अनावेदक क. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक ने झूठे आधारों पर मात्र अनावेदक क. 1 योगेश मदान को परेशान करने, उनके स्वामित्व की भूमि हड़पने एवं कब्जा देने से बचने के लिए झूठा दावा पेश किया है। विधि द्वारा स्थापित राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार बैतूल ने प्रकरण आवेदन, जवाब एवं साक्षी तथा तर्कों का सूक्ष्मता से अवलोकन कर स्वयं अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर गुण दोषों के आधार पर आदेश पारित किया है। सीमांकन कार्यवाही पर सीमांकनकर्ता राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आवेदक की जानकारी में मौके पर सीमांकन अनुसार पाई गई वास्तविक सीमांकन, पंचनामा एवं प्रतिवेदन में उल्लेखित करते हुए नक्शे में चिन्हित किया गया है। न्यायालय नायब तहसीलदार बैतूल के समक्ष राज.मा.क. 01अ / 70 / वर्ष 2014—15 में आवेदक एवं अनावेदक क. 1 को सुनवाई उपरांत गुण दोषों पर पारित आदेश अनुसार आवेदक को आदेशित किया गया है कि वह अनावेदक क. 1 को अतिक्रमित भूमि का कब्जा सौंप देवें। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के समक्ष अपील मामला क. 0016 अ/अपील/वर्ष 2016-17 पेश की थी जो दिनांक 25.02.17 को खारिज की जा चुकी है। सक्षम राजस्व न्यायालयों के आदेश प्रभावशील है। भू–राजस्व संहिता में उपलब्ध प्रावधानों के तहत उक्त आदेशों को आवेदक ने चूनौती नहीं दी है। आवेदक का आधिपत्य वैधानिक नहीं है इसलिए आवेदक का अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। सीमांकन रिपोर्ट से प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है कि आवेदक अतिकामक है वह उचित एवं ईमानदार नहीं हैं, वह अनावेदक क. 1 की भूमि हड़पना चाहता है और अनावेदक क. 1 के विरूद्ध झूठा वाद प्रस्तुत करके अनावेदक क. 1 को कब्जा लेने की वैधानिक कार्यवाही से वंचित करना चाहता है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत अनावेदक क. 1 के पक्ष में हैं। अतः आवर्दक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 4. अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु की विरचना की जा रही है:—

- 1. क्या प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदक के पक्ष में है।
- 2. क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत आवेदक के पक्ष में है।
- 3. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है।

—:<u>प्रथम दृष्टया प्रकरण:—</u>

- 5. अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये आवेदक का प्रथम दृष्ट्या मामला ऐसा स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदक के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।
- 6. आवेदक द्वारा स्वयं यह प्रकट किया गया है कि अनावेदक क. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमांकन तहसील कार्यालय से दिनांक 09.05.13 को कराया गया है जिसमें सीमांकनकर्ता राजस्व निरीक्षक ने 0.165 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर आवेदक का अतिक्रमण होना दर्शाया है। आवेदक द्वारा यह भी प्रकट किया गया है कि अनावेदक क. 1 द्वारा इस संबंध में धारा 250 म.प्र. भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार बैतूल से दिनांक 07.11.16 को आदेश पारित कराया गया है। उक्त आदेश का अवलोकन करने से भी यह स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा आवेदक गुलाबराव का अवैध कब्जा 0.165 हे. अनावेदक की भूमि पर पाया था जिसके संबंध में अतिक्रमण हटाये जाने हेतु आदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा आदेश दिनांक 07.11.16 के विरूद्ध अनिवुभागीय अधिकारी बैतूल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक की उक्त अपील निरस्त की जा चुकी है। इस प्रकार यह निर्विवादित है कि राजस्व न्यायालय द्वारा आवेदक का अतिक्रमण अनावेदक की भूमि पर पाया गया है।
- 7. आवेदक द्वारा मात्र यह प्रकट किया गया है कि राजस्व अधिकारी द्वारा सीमांकन विधिवत नहीं कराया गया है, सीमांकनकर्ता ने मौके पर चांदे की खोज नहीं की एवं विधिवत सूचना दिये बिना सीमांकन कराया गया है। जबिक अनावेदक क. 1 द्वारा यह प्रकट किया गया है कि सीमांकन विधिपूर्ण कराया गया है जिसकी पुष्टि सक्षम राजस्व न्यायालय एवं अपीलीय राजस्व न्यायालय द्वारा की जा चुकी है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई तथ्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रथम दृष्ट्या दर्शित हो सके कि राजस्व न्यायालय द्वारा सीमांकन विधिवत नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह साक्ष्य का विषय है कि सीमांकन सही है अथवा गलत जिसका निराकरण गुण—दोषों पर विचार उपरांत ही किया जाना संभव है।
- 8. यह उल्लेखनीय है कि विधि का यह सुसंगत सिद्धांत है कि

निषेधाज्ञा के माध्यम से अतिक्रामक का आधिपत्य सुरक्षित नहीं करना चाहिये क्योंकि यह एक साम्य पूर्ण अनुतोष है। इसे पाने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना चाहिये। न्याय दृष्टांत कमल सिंह विरुद्ध जयराम सिंह, <u>1986 (1) एम.पी.डब्लू.एन. 116</u> में यह प्रतिपादित किया गया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा केवल आधिपत्य के आधार पर नहीं दी जाना चाहिये अन्यथा शक्ति के बल पर संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति इसका लाभ लेंगे आधिपत्य ऐसा होना चाहिये जिसकी कुछ विधिक मान्यता हो। न्याय दृष्टांत महादेव सावल राम विरुद्ध पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, (1995)3 एस.सी.सी. 33 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि वास्तविक स्वामी के विरूद्ध और अवैध आधिपत्य रखने वाले व्यक्ति के पक्ष में व्यादेश नहीं देना चाहिये। न्याय दृष्टांत <u>गंग् बाई</u> विरुद्ध सीताराम, ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 742 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि विधि पूर्ण आधिपत्य रखने वाले व्यक्ति के पक्ष में ही निषेधाज्ञा देना चाहिये। अनावेदक क. 1 द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत बटेकृष्ण दामानी विरूद्ध कैलाशचंद श्रीवास्तव 1995(1) म.प्र.वि.नो. 227, विन्ध्या टेली लिंक्स विरूद्ध स्टेट बैंक आफ इंडिया 1995 जे.एल.जे. 609 (डी.बी.), म्यूनिसिपल कार्पोरेशन इंदौर विरूद्ध कोल अनिल काक वगैरह 2003 (4) एम.पी.एच.सी. 146 प्रकरण की परिस्थितियां भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते है।

- 9. उपरोक्त परिस्थितियों एवं अभिलेख पर विद्यमान दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदक के पक्ष में दर्शित नहीं होता है। अतः आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद नहीं माना जा सकता।
- 10. चुंकि प्रथम दृष्ट्या मामला आवेदक के पक्ष में नहीं है, ऐसी स्थिति में सुविधा के संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति आवेदक को अनावेदक की अपेक्षा अधिक होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
- 11. उपरोक्त परिस्थितियों में जबिक आवेदक के पक्ष में न तो प्रथम दृष्ट्या वाद है, न ही निषेधाज्ञा देने से उसे अपूर्णीय क्षिति होगी तथा सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में नहीं है, इस प्रकरण में उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः आवेदक / वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपिटत धारा 151 व्य०प्र०सं० (अस्थाई निषेधाज्ञा) (आई.ए.नं.—1) निरस्त किया जाता है।

मेरे द्वारा आज दिनांक को हस्ताक्षरित कर पारित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित। किया गया।

(अमन मलिक) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैतुल